न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, मथुरा

सत्र विचारण सं0–187/2016

राज्य बनाम राजेश एवं अन्य

अन्तर्गत धारा–306/34 भा0दं0सं0
अपराध सं0–537/2015,
थाना–सदर बाजार, जनपद–मथुरा

आरोप

मैं अमरनाथ सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, मथुरा आप अभियुक्तगण तेज सिंह चौहान उर्फ तेजपाल एवं राजेश चौहान को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं–

यह दिनांक 14.12.2015 को समय करीब 12:45 बजे दिन एवं उससे पहले भी आपने अजय गुप्ता पुत्र स्व0 डी0के0 गुप्ता को प्रताड़ित एवं दुखी करके उसे आत्महत्या किये जाने के लिए दुष्प्रेरित किया। आपके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप अजय गुप्ता ने उक्त दिनांक 14.12.2015 को समय करीब 12:45 बजे दिन, थाना–सदर बाजार, जिला–मथुरा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, ए0डी0एम0(एफ) के कार्यालय के बाहर अपने–आपको आग लगा ली, जिससे दौरान इलाज एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त अजय गुप्ता के आपने 14 लाख 20 हजार रु0 हड़प किये थे।

इस प्रकार आपने अजय गुप्ता की आत्महत्या के दुष्प्रेरण का ऐसा अपराध कारित किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा **306/34** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एत्तद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप के अधीन आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–07.04.2018

(अमरनाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक–07.04.2018

(अमरनाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, मथुरा

सत्र विचारण सं0–187/2016

राज्य बनाम राजेश एवं अन्य

07.04.2018

पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर अभियुक्तगण तेज सिंह चौहान उर्फ तेजपाल एवं राजेश चौहान न्यायालय में उपस्थित हुए। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को आरोप पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अभियोजक द्वारा अपने मामले का कथन, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गये आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है, आरम्भ किया गया। मामले के अभिलेख एवं उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार करने एवं इस निमित्त अभियुक्तगण व अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् मेरे विचार से अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार होना लगता है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध ऐसी उपधारणा करने का प्रथमदृष्टया आधार लगता है कि अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित किया है। तदनुसार अभियुक्तगण तेज सिंह चौहान उर्फ तेजपाल एवं राजेश चौहान के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–**306/34** भा0दं0सं0 विरचित किये जाना न्यायोचित लगता है।

तदनुसार अभियुक्तगण तेज सिंह चौहान उर्फ तेजपाल एवं राजेश चौहान के विरुद्ध उक्त आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से मना किया तथा घटना का विचारण चाहा।

पत्रावली, वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो। अभियोजन पक्ष, जिन भी साक्षी को, न्यायालय के माध्यम से आहूत करना चाहे, उनकी सूची नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

दिनांक–07.04.2018

(अमरनाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा